

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 850]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2025 — कार्तिक 16, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक 6689/21-अ/स्था./छ.ग./2025. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम, 2025 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है अनुसूची-एक के कॉलम (7) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
(ख) “समिति” से अभिप्रेत है कमशः इन नियमों के नियम 11 में विनिर्दिष्ट चयन समिति अथवा अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति;
(ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन भर्ती/चयन के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(घ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ङ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(च) “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(छ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

- (ज) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (झ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ज) “सेवा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय सेवा;
- (ट) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात्:—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से एवं स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी रूप से, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

- (क) प्रतियोगी परीक्षा अथवा चयन के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा;
- (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है;
- (ग) उन व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत से धारण करते हो, जैसा कि शासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से, किसी भी समय, अधिक नहीं होगी ।
- (3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।
- (4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा विहित करें ।
- (5) गुणागुण (मेरिट) के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये मापदण्ड, शासन द्वारा विहित किये जायेंगे । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी ।
- (6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**— सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा/चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को, निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) आयु—(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण— शब्द “छंटनी किये गये शासकीय सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में

कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

- (छ:) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (ञ) किसी भी अभ्यर्थी के लिये, उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ दिए जाने के उपरान्त, अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- टीप—(1)** ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो

नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जाएंगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शित है।

(तीन) (क) **शुल्क**— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) **चिकित्सा परीक्षा शुल्क**— अभ्यर्थी, जिसे चिकित्सा मण्डल के समक्ष चिकित्सा परीक्षा के लिये उपस्थित होना अपेक्षित किया गया हो, चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(चार) **विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।**

9. **निरर्हता**— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होने के लिए निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकते हों से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) परीक्षा/चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती:— (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:—

(एक) अनुसूची-दो में उल्लिखित पदों में चयन के लिये, सीधी भर्ती द्वारा, शासन या किसी अन्य शासकीय निकाय/मण्डल के माध्यम से लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जायेगा ।

(दो) लिखित परीक्षा के उपरान्त, कौशल परीक्षा के संचालन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी ।

(तीन) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर पर्याप्त संख्या में अर्हकारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा ।

(चार) लिखित एवं कौशल परीक्षा के आधार पर, चयन सूची तैयार कर, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती:—(एक) अनुसूची-दो में दर्शाये गये अनुसार सेवा में सम्मिलित पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये;

(दो) सेवा में सम्मिलित पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किये गये चयन समिति द्वारा किया जायेगा ।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो ।

- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम में 30% पदों को स्थानीय महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।
- (7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- (8) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये पदों को शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

- 12. चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.—** (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) के उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः 1 वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार होगी।

(4) पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन—** नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.— (1) उप-नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, में पूर्ण कर ली हो और जो उप-नियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हो:

परन्तु यह कि कोई भी कनिष्ठ व्यक्ति इन नियमों के अधीन चयन/पदोन्नति के लिये विचार किये जाने हेतु अपने वरिष्ठ से केवल इस आधार पर पात्र नहीं होगा कि उसने सेवा वर्ष की विहित अवधि पूर्ण कर ली है ।

स्पष्टीकरण:— पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति-संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेंडर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

- (2) चयन क्षेत्र, चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का योग्यता प्रधान ज्येष्ठता गौण के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों के मामलों में 7 गुने तथा अन्यथा की जाने वाली पदोन्नतियों के मामलों में 5 गुने तक सामान्यतः सीमित रहेगा:

परन्तु इस प्रकार अवधारित विचारार्थ परिक्षेत्र में यदि अपेक्षित संख्या में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो परिक्षेत्र उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जिस सीमा तक कि समिति द्वारा उसके लिये लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुये आवश्यक समझा जाये ।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

- (2) पदोन्नति के लिये व्यक्तियों के चयन सूची तैयार करने के लिये निम्नानुसार मापदण्ड होगी:—

(एक) तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के अनुसार किया जायेगा।

(दो) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान में, पदोन्नति, योग्यता-सह-वरिष्ठता के अनुसार किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चात्पूर्ति चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

16. चयन सूची.— (1) नियुक्ति प्राधिकारी, चयन समिति द्वारा अनुशंसित सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा करने के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) पदोन्नति के लिए चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार चयन सूची में आये हों।
- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व चयन समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा उसकी प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।
18. **परिवीक्षा.**— (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।
- (ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की अवधि अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।
- (ग) परिवीक्षा की अवधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा अवधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि कोई विशेष अभ्यर्थी, सेवा में नियमित किये जाने योग्य नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) सेवा में पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किया जाएगा।
19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
20. **शिथिलीकरण.**— (1) इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत तथा उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:
- परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों/निर्देशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार देशलहरे, अतिरिक्त सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स लेवल	टिप्पणी	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप सचिव	01	प्रथम श्रेणी	लेवल-14	—	राज्य शासन
2.	अवर सचिव	01	प्रथम श्रेणी	लेवल-13	—	—तदैव—
3.	स्टाफ ऑफिसर	02	प्रथम श्रेणी	लेवल-13	—	—तदैव—
4.	अनुभाग अधिकारी	05	द्वितीय श्रेणी	लेवल-11	—	—तदैव—
5.	प्रशासनिक अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	लेवल-11	—	—तदैव—
6.	निज सचिव	04	द्वितीय श्रेणी	लेवल-11	—	—तदैव—
7.	उप ग्रंथपाल	01	तृतीय श्रेणी	लेवल-8	—	छत्तीसगढ़ महाधिवक्ता कार्यालय
8.	सहायक ग्रंथपाल	01	तृतीय श्रेणी	लेवल-7	—	—तदैव—
9.	सहायक ग्रेड-एक	05	तृतीय श्रेणी	लेवल-9	—	—तदैव—
10.	निज सहायक	09	—तदैव—	लेवल-9	—	—तदैव—
11.	सहायक प्रोग्रामर	01	—तदैव—	लेवल-9	—	—तदैव—
12.	शीघ्रलेखक (हिन्दी / अंग्रेजी)	04	—तदैव—	लेवल-7	—	—तदैव—
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	07	—तदैव—	लेवल-6	—	—तदैव—
14.	सहायक ग्रेड-दो	10	—तदैव—	लेवल-6	—	—तदैव—
15.	लेखापाल	01	—तदैव—	लेवल-6	—	—तदैव—
16.	सहायक ग्रेड-तीन	20	—तदैव—	लेवल-4	—	—तदैव—
17.	वाहन चालक	04	—तदैव—	लेवल-4	—	—तदैव—

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उप सचिव	01	—	100%	—	
2.	अवर सचिव	01	—	100%	—	
3.	स्टाफ ऑफिसर	02	—	100%	—	
4.	अनुभाग अधिकारी	05	—	100%	—	
5.	प्रशासनिक अधिकारी	01	—	100%	—	
6.	निज सचिव	04	—	100%	—	
7.	उप ग्रंथपाल	01	—	100%	—	
8.	सहायक ग्रंथपाल	01	100%	—	—	
9.	सहायक ग्रेड-एक	05	—	100%	—	
10.	निज सहायक	09	—	100%	—	
11.	सहायक प्रोग्रामर	01	—	100%	—	
12.	शीघ्रलेखक (हिन्दी / अंग्रेजी)	04	100%	—	—	
13.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	07	100%	—	—	

14.	सहायक ग्रेड—दो	10	—	100%	—	
15.	लेखापाल	01	—	100%	—	
16.	सहायक ग्रेड—तीन	20	75%	25%	—	
17.	वाहन चालक	04	100%	—	—	

अनुसूची-तीन (नियम 8 देखिये)

स. क.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी / हिन्दी)	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, या पुरानी हायर सेकेण्डरी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था, शीघ्रलेखन (शॉर्टहैंड) तथा मुद्रलेखन परिषद् से:- (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए- हिन्दी शीघ्रलेखन (शॉर्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शॉर्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए- अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शॉर्टहैंड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शॉर्टहैंड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषीय शीघ्रलेखक के लिए- ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट	

				अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शॉर्टहैंण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शॉर्टहैंण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
2.	सहायक ग्रंथपाल	21 वर्ष	—तदैव—	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक (बी.लिब.) की उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।	
3.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	18 वर्ष	—तदैव—	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा।	

				(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाण पत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	
4.	सहायक ग्रेड-तीन	-तदैव-	-तदैव-	(1) मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र (3) किसी मान्यता प्राप्त मंडल / संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।	

5.	वाहन चालक	—तदैव—	—तदैव—	कक्षा दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा वैध हल्के मोटरयान ड्रायविंग लाइसेंस धारण करता हो और आंखों की दृष्टि 6/6 अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।	

टीपः— ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिए अनुभव की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अवर सचिव	उप सचिव	3 वर्ष	(1) प्रमुख सचिव / सचिव, विधि — अध्यक्ष. (2) प्रमुख सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग — सदस्य. (3) वरिष्ठतम अतिरिक्त सचिव, विधि — सदस्य. (4) एक-एक अधिकारी, जो अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि. व. से संबंधित हो — सदस्य. (5) एक महिला अधिकारी — सदस्य.	स्नातक उपाधि अनिवार्य
2.	अनुभाग अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी	अवर सचिव	5 वर्ष	—तदैव—	स्नातक उपाधि अनिवार्य
3	निज सचिव	स्टाफ ऑफिसर	5 वर्ष	—तदैव—	स्नातक उपाधि अनिवार्य
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	सहायक प्रोग्रामर	—तदैव—	(1) महाधिवक्ता द्वारा नामांकित अतिरिक्त महाधिवक्ता — अध्यक्ष. (2) महाधिवक्ता द्वारा नामांकित उप महाधिवक्ता — सदस्य.	प्रथम श्रेणी में बी.ई. / बी.टेक. / बी.एस.सी (इंजीनियरिंग) या स्नातक कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य

				(3) उप सचिव/अवर सचिव — सदस्य. (4) एक-एक अधिकारी, जो अ.ज.जा./अ.जा./अ.पि. व. से संबंधित हो — सदस्य. (5) एक महिला अधिकारी — सदस्य.	श्रेणी। अथवा एम.सी.ए./एम. सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, भौतिक शास्त्र / गणित/ सांख्यिकीय/ ऑपरेशन रिसर्च/ अर्थशास्त्र/ कम्प्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी में एम.एस.सी. / एम.ए. या स्नातक में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी। अथवा बी.सी.ए. / बी.सी.एम./ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक, भौतिक शास्त्र / गणित/ सांख्यिकीय/ ऑपरेशन रिसर्च/ अर्थशास्त्र/ बी. एस.सी./ बी.ए. कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर साइंस में कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या कम से कम
--	--	--	--	--	--

					कुल 60 प्रतिशत अंक या समतुल्य श्रेणी।
5	सहायक ग्रंथपाल	उप ग्रंथपाल	5 वर्ष	—तदैव—	—
6.	सहायक ग्रेड—एक	अनुभाग अधिकारी / प्रशासनिक अधिकारी	5 वर्ष	—तदैव—	स्नातक उपाधि अनिवार्य
7.	निज सहायक	निज सचिव	5 वर्ष	—तदैव—	स्नातक उपाधि अनिवार्य
8.	सहायक ग्रेड—दो / लेखापाल	सहायक ग्रेड—एक	5 वर्ष	—तदैव—	—
9.	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी / हिन्दी)	निज सहायक	5 वर्ष	—तदैव—	—
10.	सहायक ग्रेड—तीन	सहायक ग्रेड—दो / लेखापाल	5 वर्ष	—तदैव—	लेखापाल के पद हेतु, ऐसे सहायक ग्रेड—तीन, जो लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण हो, पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।
11.	दफ्तरी / भृत्य	सहायक ग्रेड—तीन	5 वर्ष	—तदैव—	25% पदों पर, ऐसे दफ्तरी / भृत्य, जो सहायक ग्रेड—तीन के पद हेतु विहित अर्हता रखते हों, पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2025

क्रमांक 6689/21-अ/स्था./छ.ग./2025. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07/11/2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक कुमार देशलहरे, अतिरिक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 7th November 2025

NOTIFICATION

No. 6689/XXI-A/Estt./C.G./2025,- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules for regulating the recruitment and service conditions of the members of the Office of Chhattisgarh Advocate General, namely:-

RULES

- 1. Short title and Commencement.-** (1) These rules may be called the Office of Chhattisgarh Advocate General Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2025.
(2) These rules shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) **“Appointing Authority”** in respect of the Service means the Authority specified in column (7) of Schedule-I;
 - (b) **“Committee”** means the Selection Committee as specified in rule 11 of these rules or Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV, respectively;
 - (c) **“Examination”** means the competitive examination conducted for recruitment/selection under rule 11;
 - (d) **“Government”** means the Government of Chhattisgarh;
 - (e) **“Governor”** means the Governor of Chhattisgarh;

- (f) **“Other Backward Classes”** means the Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government vide Notification No. F-85-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
- (g) **“Schedule”** means the Schedule appended to these rules;
- (h) **“Scheduled Castes”** means Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
- (i) **“Scheduled Tribes”** means Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
- (j) **“Service”** means the Office of Chhattisgarh Advocate General Service;
- (k) **“State”** means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. Constitution of the Service.- The Service shall consist of the following persons, namely:-

- (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or an officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) Persons, recruited to the Service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, Pay scale etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service and scale of pay either on permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -

- (a) By direct recruitment, through competitive examination or selection;
 - (b) By promotion of members of Service as specified in column (2) of Schedule-IV;
 - (c) by deputation of the persons who hold in substantive or officiating capacity such posts in such service as may be specified in this behalf by the State Government.
- (2) The number of the persons recruited under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II, the number of posts as specified in Schedule-I.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

- (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, he may, with the prior consent of the General Administrative Department of the Government, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.
- (5) For the post to be filled up by direct recruitment through selection on the merit basis, the criteria shall be prescribed by the Government. However, it shall be mandatory for Appointing Authority to constitute a selection committee for this purpose, which may adopt any other appropriate criteria other than these criteria with the consent of the Government.
- (6) At the time of recruitment to the service, the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhada Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under the said Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. Appointment in service.- All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment as specified in rule 6.

8. Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.- In order to be eligible for competitive examination/selection for direct recruitment, a candidate should satisfy the following conditions, namely:-

- (I) Age** – (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);
- (c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;
- (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-
- (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;
 - (ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

- (iii) A candidate who is a “retrenched Government servant” shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term “retrenched Government servant” denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

- (e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation -The term “Ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service were retrenched or declared surplus as a

result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment, namely :-

- (i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;
 - (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of the enrolment;
 - (iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
 - (iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);
 - (v) Ex-servicemen discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;
 - (vi) Ex-servicemen invalidated out of service;
 - (vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

- (g) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.
- (h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations/Boards.
- (i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them, subject to the limit of 8 years, but in no case their age should exceed 38 years.
- (j) In any case the maximum age shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above, for any candidates.
- (k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.

Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause (I) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed.

(II) Educational Qualifications.- The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the Service, as shown in Schedule-III.

(III) (A) Fees.- The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.

(B) Medical Test Fees.- The candidate, who has been required to appear before medical board for Medical test, must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of Medical Board.

(IV) The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/selection.

9. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to a disqualification for appearing in the examination/selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates

shall be final.— (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission in the examination/selection shall be final and candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority, shall not be allowed to appear in the examination/selection.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any discrepancy is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.

11. Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.– (1) Direct

recruitment by competitive examination:- (i) For selection to the posts as mentioned in Schedule-II, by direct recruitment, a written competitive examination through the Government or any other Government agency/board shall be conducted, as decided by the Appointing Authority from time to time.

- (ii) A selection committee shall be formed by Appointing Authority for conducting skill test after the written examination.
- (iii) On the basis of merit list of candidates in written competitive examination, sufficient number of qualifying candidates shall be invited for skill test.
- (iv) Select list shall be prepare on the basis of written and skill tests and selected candidates shall be appointed.

(2) Direct Recruitment by Selection:- (i) The selection of the candidates for recruitment to the posts included in the service as shown in Schedule-II shall be held at such intervals as may be determined by the Appointing Authority from time to time.

(ii) Selection of the candidates for the posts included in the service shall be made by Selection Committee nominated by the Appointing Authority, from time to time.

(3) At the time of recruitment to the service, the provision contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the instructions issued by the General Administrative Department of the Government under the said Act, from time to time, shall apply.

- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) considered by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer), as the case may be.
- (6) In Order to direct recruitment, 30% posts shall be reserved for local women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) may not be available in sufficient number on the reserved posts, with requisite experience, the Appointing Authority may relax the conditions of experience in relation to the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer).
- (8) In addition to above, posts shall be reserved for the persons with disability and ex-servicemen in accordance with the directions issued by the General Administration Department, from time to time.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.—(1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-Layer), though not qualified by that standard but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list so prepared shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appears in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the select list does not confers on him the right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as he may be consider necessary, that the candidates is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Appointment by Promotion.— (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members as mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for the purpose of constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be adhered to.

- (2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding 1 year.
- (3) Promotion shall be in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.
- (4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time and Model Roaster.
- (5) **Certification by the Appointing Authority-** Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in pursuance of the provisions of the said Act and the rules made by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

14. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed not less than such number of years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which the promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that no junior person shall be eligible for being considered for Selection/Promotion under these rules prior to his senior merely on the ground of having completed the prescribed number of years of service.

Explanation- Manner of computation for eligibility for promotion:- Period of qualifying service on 1st January of the relevant year, in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year, in which public servant has joined the feeding cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to 7 times the number of persons to be included in the select list in respect of posts filled on the basis of merit-cum-seniority and Upto 5 times in relation to the promotion otherwise made:

Provided that if the required number of suitable persons are not available in the field of consideration so determined, its field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons thereof in writing.

- 15. Preparation of list of suitable candidate.-** (1) The Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the condition prescribed in rule 14 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement/promotion during the course of one year starting from the date of preparation of the select list.
- (2) For preparing the select list of persons for promotion, the criteria shall be as under-

(i) from the Class-III to higher pay-scale of Class-III, Class-III to Class-II, Class-II to higher pay-scale of Class-II, Class-II to Class-I, promotion shall be made as per seniority subject to fitness.

(ii) from Class-I to higher pay-scale of Class-I, promotion shall be made as per merit-cum-seniority.

(3) The name of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation- The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the select list shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select List.— (1) The Appointing Authority shall consider the list recommended by the selection Committee unless any change is considered necessary, the list shall be approved.

(2) If the Appointing Authority considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, the Appointing Authority shall record its reasons in writing for doing so.

(3) The select list as finally approved by the Appointing Authority shall from the select list for promotion of the members of the service from the posts specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Appointing Authority and the committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.— (1) Appointment of the person included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such candidates appear in the select list in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation.— (1) (a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years.

(b) If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(c) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an employee, then the services of such probationer can be terminated.

(2) Every person posted by promotion to the service shall be appointed in officiating capacity for a period of 2 years.

19 Interpretation.— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

20 Relaxation.— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply, in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21 Repeal and Saving.— (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders/instructions issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEEPAK KUMAR DESHLAHARE, Additional Secretary.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

S.No	Name of the post included in the service	Number of posts	Classification	Pay Matrix Level	Remarks	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Deputy Secretary	01	Class-I	Level-14	-	State Government
2.	Under Secretary	01	Class-I	Level-13	-	--do--
3.	Staff Officer	02	Class-I	Level-13	-	--do--
4.	Section Office	05	Class-II	Level-11	—	--do--
5.	Administrative Officer	01	Class-II	Level-11	—	--do--
6.	Personal Secretary	04	Class-II	Level-11	-	--do--
7.	Deputy Librarian	01	Class-III	Level-8	-	Office of Chhattisgarh Advocate General
8.	Assistant Librarian	01	--do--	Level-7	-	--do--
9.	Assistant Grade -I	05	--do--	Level-9	-	--do--
10.	Personal Assistant	09	--do--	Level-9	-	--do--
11.	Assistant Programmer	01	--do--	Level-9	-	--do--
12.	Stenographer (Hindi)/ (English)	04	--do--	Level-7	-	--do--
13.	Computer Operator	07	--do--	Level-6	-	--do--

14.	Assistant Grade-II	10	--do--	Level-6	-	--do--
15.	Accountant	01	--do--	Level-6	-	--do--
16.	Assistant Grade-III	20	--do--	Level-4	-	--do--
17.	Driver	04	--do--	Level-4	-	--do--

SCHEDULE-II

(See rule 6)

S.No	Name of the post included in the service	Total number of duty post	Percentage of number of duty post to be filled in			Remarks
			By direct recruitment (see rule 6(1)(a))	By promotion of substantive member of service (see rule 6(1)(b))	By deputation of persons from other services (See rule 6(1)(c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Deputy Secretary	01	-	100%	-	-
2.	Under Secretary	01	-	100%	-	-
3.	Staff Officer	02	-	100%	-	-
4.	Section Office	05	-	100%	-	-
5.	Administrative Officer	01	-	100%	-	-
6.	Personal Secretary	04	-	100%	-	-
7.	Deputy Librarian	01	-	100%	-	-
8.	Assistant Librarian	01	100%	-	-	-
9.	Assistant Grade -I	05	-	100%	-	-
10.	Personal Assistant	09	-	100%	-	-
11.	Assistant Programmer	01	-	100%	-	-
12.	Stenographer (Hindi)/ (English)	04	100%	-	-	-
13.	Computer Operator	07	100%	-	-	-
14.	Assistant Grade -II	10	-	100%	-	-
15.	Accountant	01	-	100%	-	-
16.	Assistant Grade -III	20	75%	25%	-	-
17.	Driver	04	100%	-	-	-

SCHEDULE-III

(See rule 8)

S. No.	Name of service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer (English /Hindi)	18 years	30 years (35 years for Local resident of State of Chhattisgarh)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/ Institute/ Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand)	

				Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken) (c) For bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minutes speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
2.	Assistant Librarian	21 years	--do--	(1) Graduate Degree in Library Science (B.Lib.) from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute.	

3.	Computer Operator	18 years	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and certificate of Hindi and English typing 8,000 (Key) depression per hour (through Computer and Software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).	
4.	Assistant Grade-III	--do--	--do--	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary	

				Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) Certificate of Hindi or English typing 5,000 (Key) depression per hour (through computer and software) from Recognized Board/ Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).	
5.	Driver	--do--	--do--	Should have passed 10 th Class examination and hold a valid LMV Driving license and must have eye sight of 6/6.	

Note- The upper age limit shall be relaxable for candidates who are local resident of State of Chhattisgarh, as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

SCHEDULE-IV

(See rule 14)

S. No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for promotion	Name of member of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Under Secretary	Deputy Secretary	3 years	(1) Principal Secretary/ Secretary, Law Chairman. (2) Principal Secretary /Secretary, General Administration Department -Member. (3) Senior most Additional Secretary, Law -Member. (4) One officer, who belongs to S.T./ S.C./ OBC. -Member. (5) One woman officer - Member.	Graduate Degree must be compulsory.
2.	Section Officer/ Administrative Officer	Under Secretary	5 years	--do--	Graduate Degree must be compulsory
3.	Personal Secretary	Staff Officer	5 years	--do--	Graduate Degree must be compulsory
4.	Computer Operator	Assistant Programmer	5 years	(1) Additional Advocate General nominated by Advocate General -Chairman .	Such Computer Operator shall be eligible for promotion who posses following qualifications-

				(2) Deputy Advocate General nominated by Advocate General -Member. (3) Deputy Secretary/Under Secretary -Member. (4) One officer, who belongs to S.T./S.C./ OBC. -Member. (5) One woman officer - Member.	B.E/B.Tech . /B.Sc (Engineering) in first division or graduation at least 60% marks or equivalent grade. Or Post Graduate in M.C.A/ M.C.M./ Information Technology, Physics/ Mathematics/Statistics / Operation Research/ Economics/ M.Sc. in Computer Science/M. A. in first division or graduation at least 60% marks or equivalent grade. Or Graduate in B.C.A/ B.C.M./ Information Technology, Post Graduate Degree in Physics/ Mathematics /Statistics/ Operation Research/ Economics /B.Sc./B.A. Computer Science / Post Graduate Diploma in Computer Application
--	--	--	--	---	--

					in Computer Science or at least 60% marks or equivalent grade.
5.	Assistant Librarian	Deputy Librarian	5 years	--do--	-
6.	Assistant Grade-I	Section Officer/ Administrative Officer	5 years	--do--	Graduate Degree must be compulsory
7.	Personal Assistant	Personal Secretary	5 years	do....	Graduate Degree must be compulsory
8.	Assistant Grade-II/ Accountant	Assistant Grade-I	5 years	do....	-
9.	Stenographer (English/Hindi)	Personal Assistant	5 years	do....	-
10.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Accountant	5 years	do....	Such Assistant Grade -III who have passed Account Training, shall be eligible for promotion to the post of Accountant.
11.	Daftari/Peon	Assistant Grade-III	5 years	do....	such Daftari/Peon, who have qualifications prescribed for the post of Assistant Grade-III shall be eligible for promotion on 25% posts.